अध्याय- द्वितीय
निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषताऐं

भारत सरकार ने दिसम्बर 1997 में स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी, बेरोजगारों या अर्द्धबेरोजगारों को स्वयं के व्यवसाय स्थापित कराकर या मजदूरी रोजगार का प्रावधान करके लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के पांच मुख्य संधटक है। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम, शहरी नगरीय गरीबों हेतु रोजगार को बढावा देने हेतु रोजगार कौशल प्रशिक्षण,शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और शहरी समुदायिक विकास तंत्र। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्यवन हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश राज्य नोडल अधिकारी निर्धारित किये गये हैं, जो राज्य नगरीय विकास एजेंसी के माध्यम से कार्य करेंगे। जिला स्तर पर जिला नगरीय विकास एजेंसी जिला नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सियों के निष्पादन की जांच हेतु चयनित आठ जिलों की जिला नगरीय विकास एजेन्सी, जिला स्तर पर नगर निगम/नगर परिषद और प्रत्येक जिले में दो नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई। जिसके महत्वपूर्ण प्रेक्षण निम्नानुसार है-

पाँच जिलों के जिला शहरी विकास अभिकरणों तथा पाँच नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योग्य लाभान्वितों का सर्वे नहीं किया गया।

पैरा- 2.6.1

चयनित छः जिलों के शहरी विकास अभिकरण तथा तीन नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनायी गई

पैरा- 2.6.2

चार जिलों में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण तथा चार शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लाभान्वितों का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया

पैरा- 2.8.2

चयनित छः जिलो की जांच के दौरान पाया गया कि लाभान्वितों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये गये जो एस जे एस आर वाय योजना के दिशा निर्देशों की अनुशंसा के अनुरूप मान्य नही किया गया था।

पैरा- 2.10.1

2.1 प्रस्तावना :-

पूर्व की तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं, नेहरू रोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिये मूलभूत सेवायें, तथा प्रधान मंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को शामिल कर दिनांक 1.2.1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। शहरी बेरोजगारों या अर्द्धबेरोजगारों को स्वयं के व्यवसाय स्थापित कर या मजदूरी रोजगार का प्रावधान कर लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना, योजना का मुख्य उद्देश्य था।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आने वाली मुश्किलों और एस जे एस आर वाय के क्रियान्वयन की कमियों को दूर कर योजना का दिशानिर्देश 01.4.2009 से संशोधित किये गये।
संशोधित एस जे एस आर वाय के मुख्य पांच संधटक निम्नवत है।

(i) शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (USEP)

(ii) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (UWSP)

(iii) शहरी गरीवो के उत्थान हेतु रोजगार कौशल प्रशिक्षण (STEP-UP)

(iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (UWEP)

(v) शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (UCDN)

2.2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु एक उचित प्रशासनिक व्यवस्था बनायी गई है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना, समन्वय कार्यान्वयन, वित्तीय नियंत्रण, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के राज्य शहरी विकास (SUDA) अभिकरण के माध्यम से की जा रही है।

राज्य सरकार केन्द्र सरकार और वाह्य सहायक स्रोत द्वारा पोषित विभिन्न योजनायों के कार्यान्वयन किये जाने हेतु जिला स्तर पर जिला शहरी विकास एजेंसी (DUDA) जिला नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्य करती है

शहरी स्थानीय निकायो के स्तर पर शहरी गरीवी उन्मूलन सैल (UPA Cell) का गठन किया जाना था, गरीबी उन्मूलन सैल आवश्यक कार्यवाही हेतु सामुदायिक विकास संस्थाओं द्वारा वनाया एक कार्यवाही योजना प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य :-

निष्पादन लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि क्या

- लाभान्वितों की पहचान के लिए यथोचित सर्वे किया गया.
- योजना का कार्यान्वयन सामुदायिक विकास संस्थाओं द्वारा नीचे से ऊपर की प्रशासनिक नीति के तहत किया गया जैसा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिशा निर्देशों में उल्लेख था।

- शहरी बेरोजगार या अर्द्धबेरोजगारों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिये स्वयं के रोजगार उपक्रम स्थापित कर या मजदूरी रोजगार या कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया
- एक प्रभावी पर्यवेक्षण कार्यविधि और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली गठित की गई थी।

2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड :-

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये

- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अनुदेश
- सब्सिडी के प्रबंधन के लिए रिजर्व वैंक आफ इंडिया के दिशा निर्देश
- राज्य सरकार और राज्य या जिला स्तर पर नोडल एजेन्सियों द्वारा जारी किये गये अनुदेश/परिपत्र
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय नियम.

2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि :-

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि हेतु 23 मई से 1 जुलाई 2011 तक की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु 50 जिले में से 11 जिलो[5] का चयन पी पी एस डब्ल्यू ओ आर नमूना पद्वति के आधार पर किया गया तथा और दो जिलों बैतूल और होशंगाबाद योजना के प्रायोगिक अध्ययन हेतु चुने गये थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा आठ जिलो[6] मे आयोजित की गई जिसमें दो जिलों को प्रायोगिक अध्ययन हेतु चुना गया।

आयुक्त/सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 19 मई 2011 को आयोजित किया गया। जिसमें लेखापरीक्षा से सम्बंधित उद्देश्य मापण्ड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यविधि पर चर्चा की गयी।

मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के साथ एक निर्गम सम्मेलन 25 मई 2012 को आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6 योजना

2.6.1 हितग्राहियों की पहचान हेतु सर्वेक्षण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशानिर्देश के पैरा 4.2.5 के अनुसार वास्तविक हितग्राहियों पहचान के लिये घर-घर सर्वे किया जाये, इसमें गंदी बस्तियों में रहने वाले और कम आय वाले लोगो पर विशेष ध्यान दिया जाए। शहरी गरीबों की पहचान हेतु शहरी गरीबी रेखा एवं आर्थिक मापदण्ड को लागू कर निकटवर्ती दलों (NHGS)

[5] छतरपुर, इन्दौर, खंडवा, मंडला, रतनाम, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा

[6] बैतूल, छतरपुर, मंडला, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी एवं होशांगाबाद

निकटवर्ती समितियों (NHCH) और सामुदायिक विकास सोसाईटियों (CDSs) जैसे सामुदायिक संरचना की सहायता से नगरीय शहरी गरीबी उन्मूलन सैल के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

पॉच जिलों[7] के जिला शहरी विकास अभिकरण तथा पॉच शहरी स्थानीय निकायों[8] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने जवाब दिया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार हितग्राहियों की पहचान के लिए सर्वे प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायो में वर्ष 2003-04 में किया गया। यद्यपि, पात्र हितग्राहियों के सर्वे से सम्बधित कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.6.2 कार्य योजना तैयार न किया जाना

दिशा निर्देशों के पैरा 9.3 के अनुसार यू.पी.ए सैल शहरी स्थानीय निकाय के निर्धनता उपयोजना तैयार करने में सहायता देना और शहरी निर्धनों के लिए बजट (पी.बजट), स्लमों, परिवार तथा आजीविका सर्वेक्षण कराना, विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन करना शामिल है।

नमूना जांच किये गये छः जिलों के जिला शहरी विकास अभिकरण[9] तथा तीन स्थानीय निकायों[10] के अभिलेख की जांच में पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि सभी जिलों के वार्षिक लक्ष्य निश्चित किये गये और कार्य योजना तैयार करने हेतु सभी जिलों को आवश्यक अनुदेश जारी किये गए।

2.7 वित्त पोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रियायें

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 3 के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वित्त पोषण केन्द्र ओर राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जायेगा। केन्द्रीय अंश योजना आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमान लगाई गई शहरी गरीबी (शहरी गरीबो की संख्या) की स्थिति, उपयोगिता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने तथा पूर्व में जारी धनराशि के सापेक्ष राज्य अंश जारी करने के आधार पर संभावित रूप से आवंटित किया जायेगा। केन्द्रीय अंश राज्यों को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जब भी पात्र हो जायेंगे, किस्तों में जारी किया जायेगा।

[7] बैतूल, मंडला,शहडोल,शाजापुर एवं शिवपुरी

[8] नगर निगम रतलाम, नगर पालिका अमला एवं शहडोल, नगर पंचायत बड़वाड़ा एवं भैंसदेही

[9] छतरपुर, मंडला, रतलाम, शहडोल, शाजापुर एवं शिवपुरी

[10] नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिका शहडोल एवं नगर पंचायत बड़वाड़ा

2.7.1 वित्त प्रवाह का विवरण

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त कोष की प्राप्ति और व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारभिंक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति		कुल	व्यय	अंतिम शेष
		केन्द्रीय अंश	राज्य सरकार का अंश			
2006-07	13.94	23.88	7.96	45.78	24.64 (54%)	21.14
2007-08	21.14	31.20	10.40	62.74	40.68 (65%)	22.06
2008-09	22.06	47.23	15.74	85.03	37.96 (45%)	47.07
2009-10	47.07	44.08	14.70	105.85	50.56 (48%)	55.29
2010-11	55.29	45.70	15.23	116.22	49.12 (42%)	67.10

(स्तोत्र- आयुक्त UADD द्वारा दिये गये ऑकडो के अनुसार**)**

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक व्यय राज्य में उपलब्ध कुल कोष के 42 प्रतिशत और 65 प्रतिशत के बीच रहा।

कोष का सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया क्योंकि अनुपयोगी शेष में 2006-07 से 2010-11 तक वृद्वि हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि भारत सरकार से दूसरी किश्त जनवरी से मार्च के मध्य प्राप्त हुई जिसके कारण जिला नगरीय विकास अभिकरण और शहरी स्थानीय निकाय अनुदान का वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग करने में असमर्थ रहे।

2.7.2 जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खाते में राशि निष्क्रिय पड़ा रहना

सात जिलों के जिला शहरी विकास अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कोष का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कोष की राशि ₹ 2.07 करोड़ से ₹ 7.98 करोड़ वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में जिला शहरी विकास अभिकरणों के बैंक खातों मे अवरूद्व रही विवरण **परिशिष्ट VI** में दर्शाया गया है।

यह भी पाया गया कि परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण रतलाम द्वारा अनियमित रूप से राशि ₹ 25 लाख एक वर्ष की अवधि हेतु (जनवरी 2011 से जनवरी 2012) सावधि जमा के रूप में रखी गयी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि अव्ययित राशि का जून 2012 तक उपयोग कर लिया जायेगा। नवम्बर 2012 में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से पुनः स्थिति की जानकारी मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

योजना का क्रियान्वयन

2.8 शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (USEP)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 4 के अनुसार शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम धटक मुख्य रूप से लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत शहरी गरीब लाभार्थियों को सहायता (ऋण एवं सब्सिडी) उपलब्ध कराने और अन्य सहायता जैसे प्रौद्योगिकी विपणन, अवस्थापना की जानकारी प्रदान करने पर ध्यान देता है।

2.8.1 बैंकों द्वारा सब्सिडी का अनियमित समायोजन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 17.11.1997 को जारी निर्देश के पैरा 3 के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सब्सिडी के प्रबंध हेतु सब्सिडी राशि उधार लेने वालों के संचित कोष में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिये रखी जानी चाहिये। यह राशि ऋण खाता बंद होते समय समायोजित की जानी चाहिये।

पाँच जिलों के विभिन्न बैंकों के 51 ऋण प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 22 प्रकरणों में सब्सिडी की राशि 2 वर्ष के लॉक इन अवधि के पूर्व ही खाते में समायोजित की गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट VII** में दर्शाया गया है। यह भी पाया गया कि उपरोक्त प्रकरणों में से किसी प्रकरण में सब्सिडी राशि समायोजित किये जाने के पश्चात भी ऋण प्रकरण बंद नहीं किये गये।

इंगित किये जाने पर पाँच बैंकों[11] के प्रबंधकों द्वारा कहा गया कि लगभग सभी ऋण प्राप्तकर्त्ता बकायादार हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण तथा शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों द्वारा बैंकों को हितग्राहियों से ऋण की वसूली में सहयोग नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि बैंकिग नियमों के अनुसार बैंकों द्वारा सब्सिडी को समायोजित किया गया है, आवश्यक होने पर बैंकों द्वारा ऋण की वसूली के लिये शहरी स्थानीय निकायों की सहायता ली जा सकती है।

सरकार का उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिये जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

2.8.2 हितग्राहियों के स्थायी अभिलेखो का संधारण न किया जाना

दिशा निर्देश के पैरा क्रमांक 4.2.8 के अनुसार मौजूदा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी) के साथ पुनरावृत्ति से बचने के लिए, योजना के शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम धटक को गैर आर्थिक मापदण्ड के आधार पर प्रदत्त उच्च प्राथमिकता पर बल देते हुए गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों तक सीमित रखा जाए। लाभार्थियों

[11] पंजाब नेशनल बैंक छतरपुर, इलाहाबाद बैंक छतरपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा शिवपुरी, बैंक ऑफ इण्डिया शिवपुरी एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर रतलाम

की सूची पी एम ई जी पी को भी भागीदार बनाया जाये ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा भी फरवरी 2001 में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों में प्रशिक्षित हितग्राहियों का एक रजिस्टर संधारित किया जाना चाहिये।

चार जिलों के परियोजना अधिकारी[12], जिला शहरी विकास अभिकरण तथा चार शहरी स्थानीय निकायों[13] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि हितग्राहियों के स्थायी अभिलेख संधारित किये जाने के लिये शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किये जा चुके है।

2.9 शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यु.डब्ल्यू एस पी)

इस घटक में दो उप घटक है-

(i) शहरी गरीब महिलाओं के समूह के लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यम की स्थापना हेतु सहायता यू डब्ल्यू एस पी (ऋण एवं आर्थिक सहायता)

(ii) स्व-सहायता समूह (एस एच सी)/थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाईटी (टी एंड सी एस) हेतु आवर्ती निधि-यू डब्ल्यू एस पी (आवर्ती निधि)

2.9.1 शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम का सही क्रियान्वयन न किया जाना

दिशा निर्देशों के पैरा 5.2.1 के अनुसार यह स्कीम शहरी गरीब महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिष्ठित है जो समूह में स्व रोजगार उद्यम स्थापित करने का निगर्म लेती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये यू एस डब्ल्यू पी घटक का प्रभावी क्रियान्यवयन आवश्यक था।

मण्डला एवं शिवपुरी जिले के परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दोनों जिलों में महिला समूहों की सहायता हेतु वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में राशि ₹ 1.40 लाख तथा ₹ 0.82 लाख व्यय किये गये तथा दोनों जिलों में क्रमशः राशि ₹ 13.52 लाख तथा ₹ 32.49 लाख अव्ययित रही।

इंगित किये जाने पर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण मंडला द्वारा उत्तर दिया गया कि राशि का उपयोग शासन से उचित निर्देश प्राप्त होने के उपरांत किया जायेगा परियोजना अधिकारी शिवपुरी द्वारा उत्तर दिया कि राशि का दिशा निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जायेगा।

[12] होशांगाबाद, मंडला, शहडोल एवं शिवपुरी

[13] नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिका शहडोल, नगर पंचायत बड़वाह एवं भैंसदेही

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि महिला समूहों में समन्वय के अभाव तथा बैंकों से उचित सहयोग प्राप्त न होने के कारण समूह नहीं बनाये जा सके।

2.9.2 बचत एवं साख समितियों का अनियमित संचालन

दिशा निर्देशों के पैरा 5.3.1 के अनुसार शहरी गरीब महिलाओं के स्व सहायता समूह के बचत एवं साख समितियों का गठन किया जाना है। आवर्ती निधि के रूप में अनुदान राशि ₹ 25000/- जारी की जानी थी जिसका उपयोग कच्चे माल की खरीद और विपणन, आय-सृजन और अन्य सामूहिक कार्यकलापों के लिए किया जाना था। इस संबंध में बचत एवं साख समूहों के गठन के लिये अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, भोपाल द्वारा सितम्बर 2003 मे विस्तृत निर्देश जारी किये गये।

शाजापुर तथा रतलाम जिले के परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के अभिलेख की जांच में पाया गया कि दिशा निर्देश के प्रावधानों के अनुसार बचत एवं साख समूहों द्वारा निर्माण और विपणन हेतु ऋण वितरण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन मे सरकार द्वारा यथोचित उत्तर देने के स्थान पर आवर्ती निधि के लिये अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया को पुनः बताया गया।

2.10 शहरी गरीबों को रोजगार वृद्वि हेतु कौशल प्रशिक्षण

दिशा निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में शहरी गरीबों के कौशल निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया जायेगा ताकि वे स्वः रोजगार चलाने के साथ साथ बेहतर वेतन के रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सके।

2.10.1 गैर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना

दिशा निर्देश के पैरा क्रमांक 6.4 के अनुसार कौशल प्रशिक्षण को प्राधिकृत करने और प्रमाणीकरण से सम्बद्व किया जाए और आई आई टी, एन आई टी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंध संस्थान के योगदान से सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पी पी पी) को प्राथमिकता दी जाए। शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर 2000 में भी निर्देश जारी किये गये।

नमूना जांच किये गये जिलों[14] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के जनरल ट्रेड के माध्यम से प्रशिक्षण दिये गये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार द्वारा कहा गया कि प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के अभाव तथा शासकीय संस्थानों में अपर्याप्त सीटों के कारण गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये।

[14] बैतूल, छतरपुर, होशंगाबाद, मंडला, रतलाम एवं शिवपुरी

सरकार का उत्तर दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योकि प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रेष्ठ संस्थाओं के माध्यम से किया जाना था।

2.11 शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (यू सी डी एन)

दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 8.1 के अनुसार योजना सामुदायिक विकास और अधिकारिता पर निर्भर होगी। टॉप-डाउन कार्यान्वयन की पारम्परिक विधि पर निर्भर होने के बजाए स्कीम सामुदायिक संगठनों और अवसंरचनाओं के गठन और पोषण पर निर्भर होनी चाहिये जिससे सतत शहरी गरीबी उपशमन में सहायता मिलेगी। इसके लिये लक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों जैसे निकटवर्ती दल (NHGs), निकटवर्ती समितियों (NHCs) और सामुदायिक विकास सोसाईटियों (CDS) को स्थापित किया जायेगा।

2.11.1 निधियों का व्यपवर्तन

दिशा निर्देशों के पैरा 8.5 के अनुसार शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क घटक के तहत सामुदायिक संरचनाओं तथा सामुदायिक विकास नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिये अलग से धनराशि जारी की जा सकती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा भी इस घटक में उपलब्ध राशि का उपयोग, जागरूकता शिविर कार्यशालाओं, सामाजिक जागरूकता स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में किये जाने हेतु निर्देशित किया।

छः जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क में प्राप्त राशि को सार्वजनिक शौचालायों, नालों एवं सफाई कार्यों पर व्यय हेतु परिवर्तित किया गया जो कि दिशा निर्देशों के प्रतिकूल था। लेखा परीक्षा अवधि में अनाधिकृत निर्माण कार्यों हेतु परिवर्तित की गयी निधियों का विवरण निम्न अनुसार है-

(₹लाख में)

क्र.स	जिले का नाम	निर्माण कार्य की प्रकृति	कार्या की संख्या	नगरीय निकायों द्वारा किया गया व्यय
1	छत्तरपुर	सामुदायिक हॉल	06	23.00
2	होशंगाबाद	सार्वजनिक शौचालय	01	22.46
3	मण्डला	सार्वजनिक शौचालय और स्नागार	09	11.74
4	रतालाम	सार्वजनिक शौचालय, स्नागार और सामुदायिक हॉल	15	65.37
5	शाजापुर	सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक हॉल	13	31.71
6	शिवपुरी	सार्वजनिक शौचालयो	05	7.35
कुल			**49**	**161.63**

(स्रोत- लेखा परीक्षा हाफ मार्जिन के प्रतिउत्तर में DUDA द्वारा दी गई सूचना के आधार पर)

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि सामुदायिक विकास सोसाईटियों के स्तर पर जन सुविधाओं के कार्य शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क घटक अंतर्गत किये जा सकते है।

उत्तर दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योकि इस घटक में उपलब्ध राशि का उपयोग सामुदायिक संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये किया जाना था न कि जन सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु।

2.11.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु सामुदायिक संगठनकर्त्ता को नहीं लगाया जाना

दिशा निर्देशों के पैरा 8.3 के अनुसार, सामुदायिक स्तर पर लगभग 2000 चिन्हित परिवारों हेतु एक सामुदायिक संगठनकर्त्ता लगाया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सामुदायिक संगठनकर्त्ता शहरी गरीबी समुदाय (सी डी एस द्वारा प्रस्तुत) और कार्यान्वयन मशीनरी अर्थात शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के मध्य मुख्य कड़ी होगी। योजना की सफलता सामुदायिक संगठनकर्त्ता की प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

पांच जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सामुदायिक संगठनकर्ताओं के 45 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 17 संगठनकर्त्ता पदस्थ किये गये।
विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

क्र.	जिले का नाम	जिलों मे सामुदायिक संगठनकर्त्ता के स्वीकृत पद	पदस्थ सामुदायिक संगठनकर्त्ता
1	बैतूल	06	01
2	छत्तरपुर	15	03
3	रतलाम	11	07
4	शहडोल	06	03
5	शिवपुरी	07	03
	कुल	**45**	**17**

(स्रोत- जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक संगठनकर्त्ता नहीं लगाये गये जिसके परिणामस्वरूप योजना का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से नहीं हो सका।

2.12 निष्कर्ष-:

हितग्राहियों की पहचान हेतु उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया। जिला शहरी विकास अभिकरण और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु व्यापक कार्य योजना नहीं बनाई गई। राज्य और जिलों स्तर पर कोष उपयोग के अनुकूलतम प्रयास सुनिश्चित नहीं किये गये। ऋण प्रकरणों का उचित पर्यवेक्षण और अनुसरण नहीं किया गया। सब्सिडी की राशि दो वर्ष के अवधि पूर्ण होने के पहले ही खाते में समायोजित कर दी गई। लाभान्वितों का स्थायी अभिलेख नहीं रखा गया। प्रशिक्षित लाभान्वितों को रोजगार प्रदान करने का अभिलेख नहीं रखा गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किये गये। यू सी डी एन घटक के तहत दिया गया कोष सामुदायिक संरचना को मजबूत करने के बजाय अन्य निर्माण कार्यों में खर्च किया गया। केवल 38 प्रतिशत सामुदायिक सद्यटकों के मंजूर पदो को भरा गया जिसके परिणामस्वरूप योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

2.13 अनुशंसायें

- शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर लाभान्वितों का घर-घर सर्वेक्षण किया जाए और उनका स्थायी अभिलेख रखा जाना चाहिये।
- शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु एक व्यापक कार्य योजना बनायी जानी चाहिये।
- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का उचित उपयोग राज्य, जिला और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे आई टी आई, पॉलिटेक्निक इत्यादि के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये और प्रशिक्षित लाभान्वितों का अनुसरण कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।
- योजना के सभी संद्यटक शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने आवश्यक हैं।